



कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं इन्सीडेन्ट कमांडर, अम्बिकापुर,
जिला- सरगुजा (छ.ग.)
- :आदेश:-

अम्बिकापुर, दिनांक २३/४ / 2020

क्रमांक ७०८३ / वाचक-दाण्डिक / 2020 :: गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई, दिल्ली के आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-1(A), दिनांक 21/04/2020 तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन, विभाग के पत्र क्रमांक 191/स.सा.प्र.वि./2020 नया रायपुर, अटल नगर, दिनांक 22/04/2020 के अनुसार इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 7073/वाचक-दाण्डिक / 2020 अम्बिकापुर दिनांक 20/04/2020 के अनुक्रम में नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में नगर निगम अम्बिकापुर क्षेत्रान्तर्गत निम्नानुसार अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति निर्धारित शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है :-

1. सीमेंट / सरिया से संबंधित हार्डवेयर की दुकानें।
2. बिजली के पंखों की दुकानें।
3. छात्रों के लिये शैक्षणिक किताबों की दुकानें।
4. प्रिपेड मोबाइल रिचार्ज की दुकानें।

शर्त :-

1. उपरोक्त दुकानों के संचालन का समय प्रातः 09:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक निर्धारित किया जाता है। उपरोक्त दुकानों के अतिरिक्त शेष दुकानों/संस्थानों के संचालन का समय पूर्ववत रहेगा।
2. गृह मंत्रालय भारत सरकार तथा छोगो शासन सामान्य प्रशासन विभाग, जिला दण्डाधिकारी, सरगुजा एवं इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत रहेंगे।
3. पूर्व में अप्रभावित जिले/क्षेत्र के हॉटस्पॉट/कॉन्टेनमेंट घोषित होने की दशा में शासन द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे, तथा अतिरिक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त ही जावेगी।

संलग्न :- संलग्नक - 1

इंसीडेन्ट कमांडर
अम्बिकापुर

पृ.क्र./ ७०८४ / वाचक-दाण्डिक / 2020

अम्बिकापुर, दिनांक २३/४ / 2020

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अम्बिकापुर को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, सरगुजा अम्बिकापुर को सादर सूचनार्थ।
3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सरगुजा अम्बिकापुर को सादर सूचनार्थ।
4. आयुक्त नगर पालिक निगम अम्बिकापुर को सादर सूचनार्थ।
5. नगर पुलिस अधीक्षक, अम्बिकापुर, सरगुजा को सूचनार्थ।
6. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी अम्बिकापुर जिला- सरगुजा छोगो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. थाना प्रभारी अम्बिकापुर/मणीपुर चौकी को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, अम्बिकापुर को सूचनार्थ प्रेषित।

इंसीडेन्ट कमांडर
अम्बिकापुर

